संख्याः– 155 / एक–10–2020–33(35) / 2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर, मथुरा, सीतापुर, चित्रकूट, अलीगढ़, प्रयागराज, बुलन्दशहर, गाजीपुर, भदोही, बाराबंकी, कौसाम्बी, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, अमेठी, हरदोई, गोंण्डा, आजमगढ़, सोनभद्र, कानपुर नगर एवं चन्दौली।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2020

विषयः– जनपदों में वर्षा / ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति / जनहानि / पशुहानि एवं मकान क्षति के सापेक्ष प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में वर्षा / ओलावृष्टि से होने वाली फसल क्षति / जनहानि / पशुहानि एवं मकान क्षति से प्रभावित व्यक्ति / परिवार / कृषक को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन धनराशि **रू0 11141.07 लाख की धनराशि (एक अरब ग्यारह करोड़ इक्तालीस लाख सात हजार मात्र)** को कालम–5 में अंकित धनराशि को कालम–2 में अंकित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	जनपद की मांग	पूर्व में स्वीकृति धनराशि	स्वीकृति की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मिर्जापुर	7347.75	4641.66	2706.09
2	मथुरा	4561.33	3285.71	1275.62
3	सीतापुर	3412.37	2163.55	1248.82
4	चित्रकूट	3662.07	2586.48	1075.59
5	अलीगढ़	2692.94	1939.78	753.16
6	प्रयागराज	2018.09	1271.4	746.69
7	बुलन्दशहर	2342.85	1663.96	678.89
8	गाजीपुर	1692.98	1070.28	622.7
9	संत रविदास नगर	911.21	574.06	337.15
10	बाराबंकी	996.16	673.03	323.13
11	कौशाम्बी	776.50	489.2	287.3
12	प्रतापगढ़	845.03	607.06	237.97
13	फिरोजाबाद	477.56	308.26	169.3
14	अमेठी	443.95	294.97	148.98
15	हरदोई	256.55	161.62	94.93
16	गोण्डा	251.69	158.57	93.12
17	आजमगढ़	276.39	187.44	88.95
18	सोनभद्र	286.79	198.37	88.42

19	कानपुर नगर	**306.73**	**219.91**	**86.82**
20	चन्दौली	**209.30**	**131.86**	**77.44**
योग		**33768.24**	**22627.17**	**11141.07**
		(एक अरब ग्यारह करोड़ इक्तालीस लाख सात हजार मात्र)		

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803 /दस–2013–10(28)/2011, दिनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। **टीआर–27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार की के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावित हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा। भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.04.2015 में विहित व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

02 हेक्टेयर तक भूमि के स्वामित्व वाले कृषकों हेतु सहायता–		
(ब)–	कृषि निवेश अनुदान (जहॉ पर फसल का नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो)।	
	(क)– कृषि फसलों, हॉर्टिकल्चर फसलों और वार्षिक फसलों के लिये।	रू0 6,800/–प्रति हे0 असिंचित क्षेत्र में और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। रू0 13,500/–प्रति हे0 सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र हेतु और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित परन्तु न्यूनतम सहायता राशि रू0 1,000/–से कम नहीं दी जायेगी।
	(ख)– बहुवर्षीय फसलें	रू0 18,000/–प्रति हे0 सभी प्रकार की बहुवर्षीय फसलों के हेतु बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित परन्तु न्यूनतम सहायता राशि रू0 2,000/–से कम नहीं दी जायेगी।
02 हेक्टेयर से अधिक भूमि के स्वामित्व वाले कृषकों हेतु सहायता–		
		रू0 6,800/–प्रति हे0 असिंचित क्षेत्र हेतु और सिर्फ बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। रू0 13,500/–प्रति हे0 सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के लिये और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। रू0 18,000/–प्रति हे0 सभी प्रकार की बहुवर्षीय फसलों के लिये और बोये गये क्षेत्रफल तक सीमित। 02 हेक्टेयर प्रति कृषक सीलिंग की शर्त के साथ जहॉ फसल नुकसान 33 प्रतिशत या इससे अधिक हैं, यह सहायता दी जा सकेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और
मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्यय व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–05–ओलावृष्टि से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

25/3/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 155(1)/एक–10–2020–33(35)/2018, तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5– कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-25/03/2020

प्रेषण संख्या:- 155

आवंटन आदेश संख्या:- 158-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
05 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	67889000 235285000	67889000 235285000
2	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	75316000 270294000	75316000 270294000
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	127562000 460305000	127562000 460305000
4	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8682000 36673000	8682000 36673000
5	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	74669000 202809000	74669000 202809000
6	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	270609000 734775000	270609000 734775000
7	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	62270000 169298000	62270000 169298000
8	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8895000 28639000	8895000 28639000
9	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	124882000 342464000	124882000 342464000
10	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9493000 26655000	9493000 26655000
11	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9312000 26169000	9312000 26169000
12	प्रतापगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	23797000 85503000	23797000 85503000
13	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	32313000 100616000	32313000 100616000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
14	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16930000 49957000	16930000 49957000
15	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8842000 29679000	8842000 29679000
16	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	33715000 94621000	33715000 94621000
17	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7744000 21930000	7744000 21930000
18	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	28730000 78650000	28730000 78650000
19	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	107559000 367207000	107559000 367207000
20	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14898000 45395000	14898000 45395000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1114107000 3406924000	1114107000 3406924000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक अरब ग्यारह करोड़ इक्तालीस लाख सात हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन अरब चालीस करोड़ उनहत्तर लाख चौबीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ0प्र0 शासन